



कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर

क.प्रनि/पक्षे/01/कअ/समिति/38/245

इन्दौर, दिनांक

1 MAY 2018

आदेश

कंपनी के आदेश कं. प्रनि/पक्षे/01/कअ/समिति/38/64 दिनांक 03.02.18, जो कि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये "स्थायी कार्मिकों को विनियमित करने की योजना" विषयक जारी परिपत्र कं. एफ 05-01/2013/01/03 दिनांक 07.10.16 एवं सहपठित परिपत्र कं. सी 05-01-2013-01-03 दिनांक 03.05.17 को अधिवार्षिकी आयु में प्रतिस्थापन के साथ ग्राह्य कर कंपनी में लागू करने से संबंधित है, में आंशिक संशोधन करते हुए कंपनी (प.क्षे.वि.वि.कं.लि.) में कार्यरत समस्त दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की अधिवार्षिकी आयु 60 (साठ) वर्ष से बढ़ाकर 62 (बासठ) वर्ष निर्धारित की जाती है।

यह आदेश 31 मार्च, 2018 से प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार

- सही -

(मनोज पुष्प)

मुख्य महाप्रबंधक

क.प्रनि/पक्षे/01/कअ/समिति/38/8736

इन्दौर, दिनांक

1 MAY 2018

प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, उर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 2 मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा.), म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
- 3 मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा.), म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., भोपाल ।
- 4 मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा.), म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर ।
- 5 निदेशक (वाणिज्य/तकनीकी), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 6 कार्यपालक निदेशक (इं.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 7 कार्यपालक निदेशक (आयपीडीएस/ऑपरेशन) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इन्दौर ।
- 8 मुख्य अभियंता (उ.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., उज्जैन ।
- 9 मुख्य अभियंता (सिविल) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 10 मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 11 अधीक्षण यंत्री (सू.प्रौ.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर। उक्त आदेश कंपनी की वेबसाइट पर प्रसारित करें।
- 12 अधीक्षण यंत्री (शहर/संचा:संधा/सिविल) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.
- 13 कंपनी सचिव, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 14 संयुक्त सचिव-I/II, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 15 संयुक्त सचिव-III, केन्द्रीय स्थापना दावा प्रकोष्ठ, कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर ।
- 16 कार्यपालन यंत्री (शहर/संचा:संधा/एसटीएम/एसटीसी/एमटी/सिविल/भण्डार) संभाग, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.,
- 17 उप सचिव, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 18 विधि अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 19 वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर /धार/खण्डवा/खरगोन/उज्जैन देवास/रतलाम/मंदसौर
- 20 निज सचिव, प्रबंध निदेशक, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(सुधीर आचार्य)
संयुक्त सचिव-II